

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 22, 2015/माघ 2, 1936

No. 22]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 22, 2015/MAGHA 2, 1936

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित 22.03.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. 2014/ई(जीआर)1/18/1, भाग-I, खंड-1 में इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2013 संबंधी नियम अधिसूचित किए गए हैं।

फाइल सं. 2014/ई(जीआर)1/18/1.—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा प्रकाशित रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की दिनांक 22.03.2014 की अधिसूचना, सं. 2014/ई(जीआर)1/18/1, भाग I, खंड-1 जिसमें इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 2014 संबंधी नियम अधिसूचित किए गए हैं, में एतद्वारा निम्नलिखित शुद्धियां की जाती हैं:-

(1) भारतीय सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा - चिकित्सा संबंधी मानदंड परिशिष्ट II में दिए गए हैं।

(क) **ए तकनीकी** पृष्ठ 87 पर तालिका की मद सं. 2 पर चश्में के साथ अथवा चश्मे के बिना दूर तथा नजदीक की दृष्टि के मानदंडों में भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप के बाद भारतीय सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा को जोड़ा गया है।

(ख) पृष्ठ 88 में तकनीकी सेवाओं अथवा पदों जिनमें उच्च ग्रेड के रंग बोध की आवश्यकता होती है (vi) सीमा सड़क संगठन में बीआरईएस ग्रुप "ए" के बाद (vii) पर भारतीय सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा जोड़ा गया है।

(2) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा - मेडिकल मानदंड परिशिष्ट 2 में—

- (क) **बी गैर-तकनीकी** पृष्ठ 88 पर तालिका की मद सं. 4 पर चश्मे के साथ अथवा चश्मे के बिना दूर तथा नजदीक की दृष्टि के मानदंडों में भारतीय आपूर्ति सेवा ग्रुप "ए" के बाद भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा को जोड़ा गया है।
- (ख) पृष्ठ 89 में तकनीकी सेवाओं अथवा पदों जिनमें निम्न ग्रेड के रंग बोध की आवश्यकता होती है (vii) भारतीय रेडियो विनियमन सेवा, के बाद (viii) पर भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ग्रुप "ए" सेवा जोड़ा गया है।

(3) **पृष्ठ 76 पर पैरा : 18 निम्नानुसार पढ़ा जाए**

“उम्मीदवार नोट करें कि उन्हें रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से चिकित्सा जांच के संबंध में अलग से सूचना प्राप्त होगी। यदि अंतिम परिणाम घोषित होने के 15 दिन के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो कृपया रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से संपर्क करें”।

को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर—

“आयोग द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाए गए प्रत्येक उम्मीदवार की चिकित्सा जांच अपेक्षित होगी”।

उपर्युक्त के अलावा, 22.03.2014 को सरकार द्वारा जारी शेष अधिसूचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

रश्मि चौधरी, कार्यपालक निदेशक स्था.(जीसी)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st January, 2015

Gazette Notification No. 2014/E(GR)/I/18/1, Part-I, Section-1, dated 22.03.2014 published by the Ministry of Railways (Railway Board), notifying the Rules of Engineering Services Examination, 2013.

F. No. 2014/E(GR)/I/18/1.—In the Ministry of Railways (Railway Board) Notification No. 2014/E(GR)/I/18/1, Part-I, Section-1, dated 22.03.2014 published by the Ministry of Railways (Railway Board), notifying the Rules of Engineering Services Examination, 2014, the following corrigendum is hereby made:—

(1) Survey of India Group ‘A’ Service – Medical standards in Appendix II—

- (a) **A. Technical** at page No. 87 in the standards for distance and near vision with or without glasses at item No. 2 of the table Survey of India Group ‘A’ Service is inserted after Indian Ordnance Factories Service Group.
- (b) At page No. 88 in the Technical Services or Posts requiring higher grade colour Perception after (vi) BRES Group ‘A’ in Border Roads Organisation Survey of India Group ‘A’ Service is inserted at (vii).

(2) Geological Survey of India Group 'A' Service – Medical standards in Appendix II—

- (a) **B. Non-Technical** at page No. 88 in the standards for distance and near vision with or without glasses at item No. 4 of the table Geological Survey of India Group 'A' Service is inserted after Indian Supply Service Group 'A'.
- (b) At page No. 89 in the Technical Services or Posts requiring lower grade colour Perception after (vii) Indian Radio Regulatory Service, Geological Survey of India Group 'A' Service is inserted at (viii).

(3) **Para: 18 at page 76 reading as**

“The candidates should note that they will receive separate intimation regarding medical examination from the Ministry of Railways (Railway Board). If no communication is received within 15 days of the declaration of the final result, please contact Ministry of Railways (Railway Board)”.

is deleted and substituted with—

“Any candidate called for the Personality Test by the Commission may be required to undergo medical examination.”

Besides the above, rest of Notification issued by the Government dated 22.03.2014, will remain unchanged.

RASHMI CHOWDHARY, Exec. Director Estt. (GC)